सं. 01/188/2018-Vig. 1215
राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान
National Institute Of Fashion Technology,
सतर्कता विभाग (मुख्यालय)
Vigilance Department (Head Office),
नई दिल्ली – 110 016
New Delhi - 110016

दिनांक: 20 अगस्त, 2018

सूचना

विषय:- मजबूत सचेतक प्रक्रिया।

Sub: Robust Whistle Blower Mechanism.

जैसा कि आप सबको विविद है कि भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को, जो उस मंत्रालय या विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हों, के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग के किसी आरोप के संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त करने के लिए मनोनीत प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 371/4/2013-AVD-III दिनांक 16.06,2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मैं को लोकहित प्रकटन तथा मुखबिरों की सुरक्षा के अंतर्गत शिकायत प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती हूँ।

As you are aware that Chief Vigilance Officers of the Ministry/Departments of the Government of India, have been authorized as the Designated Authority to receive written complaint or disclosure on any allegation of corruption or misuse of office falling under the jurisdiction of that Ministry or the Department. In this regard and according to the guidelines issued by the Department of Personnel and Training, vide their OM No. 371/4//2013-AVD-III, dated 16.06.2014, I hereby authorize Shall Sinhally Sinhally Conference of Icenses for receiving complaints under the Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution (PIDPIR).

उपरोक्त श्रेणी में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी तथा यदि शिकायतकर्ता के आवेदन पर अथवा एकत्रित जानकारी के आधार पर यदि मनोनीत प्राधिकारी का मत हो कि शिकायतकर्ता या गवाह को संरक्षण की आवश्यकता है तो मनोनीत प्राधिकारी, संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए इस मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ उठाएगा।

While dealing with the complaints under PIDPIR, identity of the complainant/informer would be kept secretly and either on the application of the complainant, or on the basis of information gathered, if the designated authority is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, the designated authority, shall taken up the matter with the Central Vigilance Commission for issuing appropriate directions to the Government authorities concerned.

चूंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गुमनाम अथवा छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हैं, अत: निफ्ट के सभी साझेदार को यह सूचित किया जाता है कि वे सतर्कता तथा अन्य सर्वांगी विषयों पर अपनी चिंता/प्रसंग निर्भिक रूप से अद्योहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत अधिकारी को अपनी पहचान के साथ दें। यह आश्वासत किया जाता है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णत: गुप्त रखी जाएगी तथा उनको उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए सम्चित कदम उठाये जाएंगे।

As no action is required to be taken on anonymous or pseudonymous complaints in the light of guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC) and Department of Personnel & Training (DoPT), it is, therefore, informed to all the stakeholders of National Institute of Fashion Technology (NIFT) that they should disclose their identity with the undersigned or the Authorized Officer without any fear for sharing their concerns related to vigilance/systemic issues. Further, they may rest assure that their identity will be kept secretly and appropriate steps will be taken towards prevention from any victimization.

्रेयु · स्निष्ट (सुषमा सिंह) मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति:

1. सभी केन्द्र निदेशक/All Campus Directors – उपरोक्त सूचना को केन्द्र के सभी साझेदार यथा अधिकारी/कर्मचारी/छात्र/विक्रेता/निविदादाताओं के संज्ञान में लाए इसे केन्द्र की बेवसाईट पर भी उपलब्ध करायें/ With the request to bring this to the notice of all stakeholder of the concerned NIFT Campus viz. Officers/Staff/Student/Vendors/Bidders and also place this notice to the website of concerned campus।

2. पंजीयक, निफ्ट मुख्यालय/Registrar, NIFT HO - उपरोक्त सूचना को केन्द्र के सभी साझेदार यथा अधिकारी/कर्मचारी/छात्र/विक्रेता/निविदादाताओं के संज्ञान में लाए/ With the request to bring this to the notice of all stakeholder of the NIFT HO viz. Officers/Staff/Student/Vendors/Bidders।

3. निदेशक (सूचना प्रसारण) / Director (IT) - कृपया इसे निफ्ट की बेवसाईट पर उपलब्ध करायें / With the request to place this notice on the website of NIFT।